(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 04 dt 21-2-22 प्रकरण दर्ज दिनांक ....

आवेदक : [illegible] CGRERA-P-Exe-m-PRO-2021-01431

28/03/2023

प्रकरण वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक स्वतः उप.।

अनावेदक मृत।

आवेदक द्वारा मृत अनावेदक के विधिक प्रतिनिधि (legal representative), विधिक वारिसान (legar heir) अथवा हित उत्तरावर्ती (successor in interest) की जानकारी प्रस्तुत नहीं की। आवेदक ने व्यक्त किया कि काफी प्रयासो के वाद भी मृत अनावेदक के विधिक प्रतिनिधि एवं हित उत्तरावर्ती की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक को मृत अनावेदक के विधिक प्रतिनिधि, वारिसान, हित उत्तरावर्ती को अभिलेख पर लाए जाने वावत पर्याप्त, उचित, सद्भाविक अवसर प्रदान किए गए किन्तु आवेदक इस संबंध में कार्यवाही करने में असमर्थ रहा हैं। इन परिरिथतियों में आवेदक विद्यमान आवेदन का निष्पादन किसके विरूद्ध कराना चाहता हैं यह स्पष्ट एवं स्थापित नहीं हैं। अतः इस फोरम को विद्यमान समय एवं परिरिथतियों मे आवेदक के निष्पादन आवेदन को खारिज करने के अलावा अन्य विकल्प शेष नहीं हैं। अतः प्रकरण खारिज किया जाता हैं।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार रवाना हो।

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner